झारखण्ड विधान सभा

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2017

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2017

[सभा द्वारा यथापारित]

एतद् द्वारा भारतीय गणतंत्र के 68वें वर्ष में झारखण्ड राज्य के विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-

(i) **इस अधिनियम** का संक्षिप्त नाम भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जायेगा।

(ii) यह 01.01.2014 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

(iii) न्यायालय अथवा प्राधिकरण का न्यायादेश अथवा आदेश के अंतर्विष्ट होते हुए भी इस संशोधित अधिनियम के प्रावधान प्रभावी होंगे।

2. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 2 का संशोधन :-

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल अधिनियम कहा गया है) अधिनियम की धारा 2 की उप धारा (2) में दूसरे परन्तुक के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

"परंतु यह भी कि धारा 10 (क) में सूचीबद्ध परियोजनाओं और उसमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए भूमि के अर्जन को इस उपधारा के पहले परन्तुक के उपबंधों से छूट प्राप्त होगी।"

3. मूल अधिनियम की धारा-iii के पश्चात, निम्नलिखित अध्याय अंन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्

"अध्याय 3 क"

अध्याय 2 और अध्याय 3 के उपबंधों का कतिपय परियोजनाओं को लागू न होना।

10क. राज्य सरकार, लोकहित में, अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित परियोजनाओं में से किन्ही को इस अधिनियम के अध्याय 2 और अध्याय 3 के उपबंधों के लागू किए जाने से मुक्त कर सकेगी, अर्थात :-

सरकारी आधारभूत परियोजनाएँ जिसमें विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल, पंचायत भवन, आँगनबाड़ी केन्द्र, रेल, सड़क, जलमार्ग, विद्युतीकरण, सिंचाई, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आवास, जलापूर्ति, पाईप लाईन्स, ट्रांसमिशन एवं अन्य सरकारी भवन भी शामिल है। इन परियोजनाओं के लिए भी ग्राम सभा/स्थानीय प्राधिकारी का परामर्श प्राप्त किया जायेगा।

यह विधेयक भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2017 दिनांक 12 अगस्त, 2017 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्‌भूत हुआ और दिनांक 12 अगस्त, 2017 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(दिनेश उराँव)
अध्यक्ष

झा०रा०मु०, राँची (एल०ए०) 33--50--18-8-2017